न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

पत्रावली संख्या : **128 / 11(प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2011 / 00224

अनवान्

1. श्री देवीलाल पिता स्व. कालु दर्जी निवासी सांगवा तह. मावली।
2. श्री फतहलाल पिता स्व. कालु दर्जी निवासी सांगवा तह. मावली।
3. श्री हीरालाल पिता स्व. कालु दर्जी निवासी सांगवा तह. मावली।
4. मु. सोहनीबाई पत्नी स्व. कालु दर्जी निवासी सांगवा तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रद्युमनदेव सिंह पिता नरदेवसिंह राजपूत निवासी कुराबड हाल अम्बागढ तह. गिर्वा।
2. श्री लवदेवसिंह पिता नरदेवसिंह राजपूत निवासी कुराबड हाल अम्बागढ तह. गिर्वा।
3. श्री सुब्रम्णयम् देव सिंह पिता नरदेवसिंह राजपूत निवासी कुराबड हाल अम्बागढ तह. गिर्वा।
4. श्री गोपाल पिता कालु दर्जी निवासी सांगवा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. उप पंजीयन महोदय मावली, तहसील मावली।
7. पटवारी पटवार हल्का सांगवा, तह.मावली।
8. श्री पुष्करलाल पिता नाथु गायरी निवासी गायरियावास उदयपुर।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2
3. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 06.04.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा आराजी नम्बर 995 किता 1 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षीगण सं. 1 से 3 तक के नाम पर हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज हैं।

2. मौजा सांगवा की साबिक आराजी खसरा नम्बर 57 / 2 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा के नए नम्बर 995 क्षेत्रफल 7 बीघा 14 बिस्वा, [illegible] से पूर्व बहुजी सा. श्री शीतलकुमारी जी ठिकाना कुराबड, के नाम पर [illegible] प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

स्वर्गीय पिता/पति कालु एवं श्री भेरा पिता नाथु दर्जी द्वारा उक्त कृषि भूमि साबिक आराजी खसरा नम्बर 57/2 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदारान बहुजी सा. श्री शीतलकुमारी जी, ठिकाना कुराबड के आम मुख्तियार श्री मोहनलाल पिता पन्नालाल जी से जरिए बिकाव नामा दिनांक 06.11.1955 को संयुक्त रूप से क्रय कर मौके पर क्रयसुदा कृषि भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया। उक्त क्रयसुदा कृषि भूमि का बिकावनामा आम मुख्तियार श्री मोहनलाल पिता पन्नालाल जी द्वारा हम प्रार्थीगण के पिता/पति स्वर्गीय कालु एवं भेरा पिता नाथु दर्जी के पक्ष में लिख सम्पादित कर दिया, व आम मुख्तियार द्वारा प्रार्थीगण व विपक्षीगण सं. 4 के पूर्वज को उपरोक्त विक्रयसुदा कृषि भूमि का मौके पर आधिपत्य सिपूर्द किया गया। स्वर्गीय कालु एवं भेरा पिता नाथु दर्जी द्वारा उनके जीवनकाल में साबिक आराजी खसरा सं. 57/2 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, कृषि भूमि बाबत् नामान्तरकरण हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की जिस पर उक्त बिकावनामा के आधार स्वर्गीय कालु एवं भेरा पिता नाथु द्वारा संयुक्त रूप से क्रयसुदा कृषि भूमि के नामान्तरकरण की स्वीकृति होकर उक्त कृषि भूमि भेरा, कालु पिता नाथु दर्जी सा. सांगवा के नाम रद्दोबदल कर दर्ज रिकार्ड की गई, तभी से उक्त क्रयसुदा कृषि भूमि साबिक आराजी खसरा नम्बर 57/2 जिसके नए आराजी नम्बर 995 क्षेत्रफल 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 स्वर्गीय जो स्वर्गीय कालु पिता नाथु दर्जी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है, तथा विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से स्वर्गीय कालु जी द्वारा उक्त क्रयसुदा आधे हिस्से की कृषि भूमि में प्रत्येक का समान हक व हिस्सा हैं, उक्त हिस्सा कृषि भूमि एवं भेरा पिता नाथु दर्जी द्वारा क्रयसुदा आधे हिस्से की कृषि भूमि जो जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रार्थीगण सं. 1 से 3 एवं विपक्षी सं. 4 द्वारा स्वर्गीय भेरा के जीवनकाल में भेरा से क्रय की हुई है, उक्त हिस्सा कृषि भूमि पर अर्थात् प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण 7 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीग सं. 4 का संयुक्त रूप से आधिपत्य होकर संयुक्त रूप से मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 4 के हक हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे उपभोग में होकर प्रतिवर्ष फसल बुवाई कर पैदावार ले रहे हैं।

3. साबिक आराजी नम्बर 57/2 का नामान्तरकरण प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 4 के पूर्वज के पक्ष में स्वीकृत कर पुनः नामान्तरकरण को विकास पंचायत सांगवा द्वारा बिना जानकारी व बिना सूचना दिए दिनांक 14.04.1964 को उक्त नामान्तरकरण अनुचित कारण दर्शा एक तरफा निर्णय लेकर खारिज किया जो नियम विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हो न्यायसंगत नहीं है, जबकि उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 57/2 जिसके नए आराजी नम्बर 995 क्षेत्रफल 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 के स्वर्गीय पिता/पति कालु का निरंतर निर्विवाद कब्जा कालु के जीवनकाल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

कालु एवं भेरा का एवं इनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 का चला आ रहा है, अर्थात् पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर निर्विवाद कब्जा चला आ रहा है, विपक्षीगण सं. 1 से 3 तक का उक्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है, प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 उक्त कृषि भूमि पर पिछले कई वर्षों से काबिज हो संयुक्त रूप से काश्त करते हुए आ रहे है, प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 4 उक्त कृषि भूमि जिसके वर्तमान आराजी खसरा सं. 995 क्षेत्रफल 7 बीघा 14 बिस्वा के एडवर्स पजेशन के आधार पर के प्रावधान अनुसार पुराना कब्जा होने से उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होकर मालिक है, तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी है, तथा विपक्षीगण सं. 1, 2, 3 के जो भी हक अधिकार वादग्रस्त भूमि बाबत् थे वो स्वतः अवासित होकर हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 में निहित हो चुके हैं।

4. प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 स्वर्गीय जो स्वर्गीय कालु पिता नाथु दर्जी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है, स्वर्गीय कालु एवं भेरा पिता नाथु दर्जी द्वारा क्रयसुदा कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 57/2 जिसके नए नम्बर 995 क्षेत्रफल 7 बीघा 14 बिस्वा पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 का संयुक्त आधिपत्य होकर संयुक्त रूप से मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 4 के समान हक हिस्से अनुसार पिछले 50 वर्षों से हिस्से एवं कब्जे उपभोग में है, प्रार्थीगण व विपक्षीगण सं. 4 की संयुक्त कब्जे काश्त की है, तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 4 का पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से अर्थात् पूर्वजो के समय से निरन्तर निर्विवाद कब्जा चला आ रहा है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को काफी खर्चा कर आवादान किया है एवं कृषि योग्य बनाने हेतु देशी खाद डलवाया गया है एवं मेडबन्दी करवायी हुई है, पेड पौधे लगाए है, व प्रतिवर्ष फसल बुवाई कर पैदावार लेते आ रहे है, विपक्षीगण ने उक्त कृषि भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की है, न ही विपक्षीगण का कभी कोई कब्जा ही रहा है, लेकिन चूंकि उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में केवल विपक्षीगण सं. 1 से 3 तक के नाम पर नुमाईशी तौर पर दर्ज होने से एवं वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से विपक्षीगण सं. 1 से 3 लोभ एवं लालच की भावना से वशीभूत होकर नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से विपक्षीगण सं. 1 से 3 भू–माफियाओं के सहयोग से हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 4 के हक हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर हम प्रार्थीगण का कब्जा छीन कर उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को नुमाईशी तौर पर विक्रय रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर उतारू है, जबकि विपक्षीगण सं. 1 से 3 का उक्त कृषि भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, न वर्तमान में है, न ही उनका कोई हक व हित ही शेष रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा हम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 4 का पिछले कई वर्षों से निरन्तर निर्विवाद चला आ रहा है, एडवर्स पजेशन के आधार पर भी हम प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 4 उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हो गए हैं। विपक्षीगण को हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफेसी केस है, तथा सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 4 के पक्ष में है, यदि विपक्षीगण सं. 1 से 3 उक्त कृषि भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर देगे व हम प्रार्थीगण से कब्जा जबरन बल पूर्वक छीन लेंगे तो हम प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित हो जावेंगे, जिससे हम प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

5. प्रार्थना पत्र कारा दिनांक 10.05.2011 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने उक्त कृषि भूमि को अन्य को विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ। विपक्षी सं. 4 मुम्बई निवासरत होने व विपक्षी सं. 5 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार एवं विपक्षी सं. 6 उप पंजीयक महोदय दस्तावेजो का पंजीयन करते है एवं विपक्षी सं. 7 पटवारी, पटवार हल्का सांगवा, रिकार्ड में अमल दरामद करते है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाए गए हैं। नरदेवसिंह पिता बलवन्तसिंह रावत (राजपूत) निवासी अम्बावगढ फौत होने से पक्षकार नहीं बनाया गया हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करायी जावे कि विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है, उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, न जबरन कब्जा करे, हम प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, विपक्षी सं. 6 दस्तोवज का पंजीयन नहीं करे, तथा विपक्षी सं. 7 रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करे, विपक्षीगण रिकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखे, उक्त कार्य न स्वयं या अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व जारी फरमाई जावे ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से मु. वाद में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 3, 6, 7 अपने को पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादगत जमीन के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण को तनिक भी इसमें सफलता मिलने वाली नही हैं। प्रार्थनापत्र निश्चित रूप से खारिज होगा। आराजी नम्बर 995 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा हमारे खातेदारी की जमीन है तथा हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वादगत जमीन को विपक्षी सं. 1 से 3 ने प्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जमीन विक्रय नहीं की है। सारे तथ्य गलत अंकित किये हैं। जमीन के खातेदार हम विपक्षीगण होकर वर्षों से उपयोग उपभोग में होकर लगान जमा कराते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का वादगत जमीन से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा हैं। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। वादगत जमीन हम विपक्षीगण की खातेदारी की हैं। हमारे कब्जे काश्त में हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। स्वयं प्रार्थीगण ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 14.04.1964 को नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया था तो फिर उस तथाकथित नामान्तरकरण के विरूद्ध इतने वर्षों तक कार्यवाही क्यो नहीं करवाई। वादगत जमीन पर हम विपक्षीगण का कब्जा हैं। हम खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा या घोषणा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं।

8. वादगत जमीन हम विपक्षीगण की खातेदारी की होकर प्रार्थीगण का उससे कोई लेने देना नहीं हैं। जमीन हमारे कब्जे काश्त में होकर हम खातेदार हैं। विपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को जमीन विक्रय नहीं की हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्होनें पेड पोधे उगाये है, जमीन आवादान की है देशी खाद डाला है, आदि सारी बाते मिथ्या हो जाती है। हम खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार के विरूद्व प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं। वादगत जमीन से प्रार्थीगण को कोई लेना देना नहीं हैं। वादगत जमीन हम विपक्षीगण की खातेदारी की होकर हमारे उपयोग उपभोग में हैं। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होती हैं। निश्चित रूप से हम विपक्षीगण के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध प्रभाव पडेगा। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में जबरन कब्जा करने की कोशिश करेगें तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की आड में अन्य फौजदारी कार्यवाही हमारे विरूद्ध करायेगे। जो गैर कानुनी होगी। इससे हमे भारी असुविधा होगी। मानसिक संताप होगा एवं अपुरणीय क्षति होगी। उसका मूल्यांकन रूपयो में भी नहीं आंका जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत निराधार तथ्यों एवं आधारों पर होकर मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

9. हम विपक्षीगण वादगत जमीन के रिकार्डेड काश्तकार हैं। जमीन हमारे कब्जे काश्त में हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हमारे विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र आधारहीन होकर गलत तथ्यों पर होने से खारिज होने योग्य है। हम विपक्षीगण वादगत जमीन के खातेदार काश्तकार हैं। हमारे कब्जे काश्त में जमीन हैं। हम उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अभी बारिस का मौसम हैं। हमारे विरूद्ध प्रार्थीगण जो अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई हैं। वह विशेष हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे। जवाब की ताईद में शपथपत्र साथ संलग्न हैं।

10. **विपक्षी सं. 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि मुझ विपक्षी एवं प्रार्थीगण के पिता/पति कालु एवं श्री भेरा पिता नाथु दर्जी द्वारा आराजी नम्बर 57/2 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके नए नम्बर 995 क्षेत्रफल 7 बीघा 14 बिस्वा खातेदारान बहुजी सा. श्री शीतलकुमारी जी ठिकाना कुराबड के आम मुख्तियार श्री मोहनलाल पिता पन्नालाल जी से जरिए बिकावनाना दिनांक 06.11.1955 को संयुक्त रूप से क्रय कर मौके पर क्रयसुदा कृषि भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया और इसका बिकावनामा आम मुख्तियार मोहनलाल पिता पन्नालाल जी द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति स्व. कालु एवं भेरा पिता नाथु दर्जी के पक्ष में लिखा तभी से उक्त भूमि पर मुझ विपक्षी व प्रार्थीगण के पूर्वज काबिज हो उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं और आज भी हमारे कब्जे उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

11. **विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब** पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा हेतु प्रार्थी ने मुकदमा पेश किया है जिसका मालिक मैं विपक्षी हूं उक्त जमीन को मैने क्रय कर कब्जा लिया है तथा अन्य आराजीयात भी मैने खरीदी जिसके विक्रयपत्र मैंने पूर्व में प्रस्तुत कर दिये है, प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं हैं। वादगत जमीन मुझ विपक्षी की होकर मेरे कब्जे काश्त में है खुले रूप में उपयोग उपभोग कर रहा हूं, जमीन मेरी है मैं ही इसका मालिक हूं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी एक तरफ विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा लाया है तथा दूसरी तरफ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा लाया है, इस प्रकार प्रार्थी स्वयं ने असमंजस की स्थिति प्रस्तुत की है इस आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है, मैं विपक्षी जमीन का मालिक हो काबिज हूं तथा उपयोग उपभोग कर रहा हूं। आराजी नम्बर 995 पर मुझ विपक्षी का कब्जा [illegible] रजि[illegible]ई विक्रय पत्र से जमीन मैने खरीदी है तथा मैं इसे अपने नाम खातेदारी हक से [illegible] कराने का अधिकारी हूं। प्रार्थी का न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

कोई प्रथम दृष्टया मामला है उसका कोई कब्जा नहीं है सुविधा संतुलन असुविधा भी प्रार्थी को होने वाली नहीं हैं। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी ने झूठा दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है मेरे खिलाफ कोई वादकारण पैदा नहीं होता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत बिना कब्जे के आधारहीन प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें।

12. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर RRD March 2002 Page 119, RRT 2008 (1) Page 477 पेश प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा लिखित बहस मय नजीर RRT 2007 (1) Page 103, RRD 1989 Page 591, RRD 1988 Page 641, DNJ 1997 Page 6 पेश कर प्रार्थी का प्रकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 8 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला*– पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 3 नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी सं. 8 को विक्रय की जिसमें आराजी नम्बर 995 को भी विपक्षी सं. 2 द्वारा विक्रय किया हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन*– प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हैं। विपक्षी सं. 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी सं. 8 को दिनांक 15.09.2010 को विक्रय किया उसी के साथ वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया हैं। विपक्षी सं. 8 सद्भावी क्रेता हैं। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1, 3 खातेदार है व विपक्षी सं. 8 सद्भावी क्रेता होकर पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। चूंकि प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता हैं जबकि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण के कथनानुसार सेटलमेन्ट से पूर्व बहुजी सा शीतल कुमारी के नाम दर्ज भूमि को मुख्तियार नामा के आधार पर मोहनलाल पिता पन्नालाल जी से जरिये बिकावनामा दिनांक 06.11.1955 को क्रय करने का कथन किया हैं उक्त बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जा सकता हैं। वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

15. प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.23 13:25:20 IST
Reason: SelfAttested